सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 574 राँची, शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-सी॰एस॰-01/आर॰-04/2021/....1269--भारत का संविधान के अनुच्छेद-166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं॰-07, दिनांक-16 नवम्बर, 2000 द्वारा बनाई गई झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियमावली के तृतीय अनुसूची के मद संख्या-35 (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11 मार्च, 2015 द्वारा यथा संशोधित) में अंकित प्रावधानों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

1. नई योजनाएँ

वैसी सभी राज्य या केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ/कार्यक्रम, जिनकी संकल्पना नये रूप से की गई हो अथवा पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किसी योजना/कार्यक्रम का भाग न हो, को नई योजना की श्रेणी में रखा जाएगा ।

1.1 नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार

योजना मद में नई योजना की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाएगी, बशर्ते अपेक्षित राशि का उपबंध योजना उद्व्यय एवं बजट में किया गया हो तथा ऐसी योजना की कुल लागत राशि प्रत्यायोजित वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत हो:-

क्र॰	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	रू॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) तक	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव
2.	रू॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) से अधिक एवं 15.00 (पन्द्रह) करोड़ तक	विभागीय मंत्री
3.	रू॰ 15.00 (पन्द्रह) करोड़ से अधिक एवं 25.00 (पच्चीस) करोड़ तक	विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री।
4.	रू॰ 25.00 (पच्चीस) करोड़ से अधिक	मंत्रिपरिषद्

नोट:- कार्यपालिका नियमावली के नियम 38(3) के अन्तर्गत वित्त विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत कर सकेगा ।

1.2 राज्य या केन्द्र प्रायोजित/चालित नई योजना/कार्यक्रम, जिसकी लागत 25.00 (पच्चीस) करोड़ रू॰ से कम की हो, को राज्य की वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाने के पूर्व विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

ऐसी योजनाओं की स्वीकृति के क्रम में इनके कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किये जायेंगे ।

2. राज्य योजना प्राधिकृत समिति

2.1 15.00 (पन्द्रह) करोड़ रू॰ से अधिक लागत वाली राज्य या केन्द्र प्रायोजित/ चालित नयी योजना/कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नरूपेण गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा अनुशंसा की जायेगी:-

1.	विकास आयुक्त	- अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	- सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	- सदस्य
4.	संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव	- सदस्य
5.	संबंधित विभागाध्यक्ष	- सदस्य

2.2 राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही योजना मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् निर्गत की जाएगी ।

2.3 राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात् संबंधित विभाग के द्वारा मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के क्रम में छाया संचिकाओं में इस आशय का संलेख एवं अन्य सभी प्रासंगिक कागजात रखते हुए संबंधित विभागों, जिसमें वित्त विभाग भी सम्मिलित है, का परामर्श प्राप्त कर योजना पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासी विभाग की यह जिम्मेवारी होगी कि योजना प्राधिकृत समिति तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा दिये गये निर्देश/शर्त्तों का पूर्ण उल्लेख संलेख में स्पष्ट रूप से करेंगे ।

3. सभी स्तर पर नई योजनाओं की स्वीकृति करते समय विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव की निम्नलिखित जिम्मेवारी होगी:-

3.1 चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त निधि कर्णांकित कर ली गयी है।

3.2 स्थल का चयन करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है ।

3.3 अगर योजना निर्माण से संबंधित है तो प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ।

3.4 यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो तो उक्त अंश का विचारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् इन निर्णयों को समाहित कर गठित प्रस्ताव की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी ।

3.5 उपर्युक्त कंडिका-(3.1) से (3.4) में विचलन की स्थिति में विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव कार्यपालिका नियमावली के नियम-56 के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

4. पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति

4.1 स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, मात्र वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि (निविदा के पूर्व) के कारण स्कीम की लागत में वृद्धि की स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

4.2 स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, जहाँ अपील इत्यादि के बाद न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप भू-अर्जन को लेकर स्कीम की लागत में वृद्धि हो रही है, उसकी स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

4.3 उपरोक्त कंडिका-(4.1) तथा (4.2) के मामलों को छोड़ कर, अगर प्रथम पुनरीक्षण के कारण लागत वृद्धि 20ः से ज्यादा एवं सन्निहित वृद्धि की राशि 2.00 (दो) करोड़ रूपये से अधिक हो, तो राज्य योजना प्राधिकृत समिति के विचारोपरांत मूल योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4.4 यदि पुनरीक्षण के कारण लागत वृद्धि 20ः से अधिक है किन्तु सन्निहित वृद्धि की राशि 2.00 (दो) करोड़ रूपये से कम हो तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा ही पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

4.5 द्वितीय अथवा उसके पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के पश्चात् मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश

5.1 नई योजनाओं में सक्षम प्राधिकार के द्वारा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के उपरांत, स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत करने के पूर्व विभागीय मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

5.2 स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश विभागीय सचिव द्वारा निर्गत किया जायेगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विचलन होने पर इसे मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जायेगा ।

6. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि, जो पूर्व में संबंधित निकायों के खाते में सीधे हस्तान्तरित की जाती थी, को उक्त निकायों के खाते में राज्य निधि में ऐसी राशि प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर ही तत्संबंधी स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत करते हुए उपलब्ध करा दिये जाने की जवाबदेही संबंधित प्रशासी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की होगी ।

7. निगमों/निकायों को दी जानेवाली अनुदान की राशि की एकमुश्त सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के उपरांत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत विमुक्त की जानेवाली राशि का आवंटन विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के स्तर से आवश्यकतानुसार विभिन्न किस्तों में जारी किया जा सकेगा ।

8. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समितिजिन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव के अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति अथवा समरूप समिति गठित की गई है; जैसे- वित्त आयोग, BRGF, RKVY, AIBPइत्यादि; उन मामलों में योजना प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर, उसे उपरोक्त उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष रखा जायेगा

इस समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा ।

9. चालू/चालू प्रकृति की योजनाएँ

9.1 चालू योजनाओं में वैसी बड़ी योजनाएँ, जिन्हें एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर पूरा किया जाना हो, को भी सम्मिलित समझा जाएगा, बशर्ते योजना/कार्यक्रम निरूपण की प्रारम्भिक अवस्था में ही इसके संभावित व्यय का चरणबद्ध आकलन कर लिया गया हो। ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत किये गये मूल स्वीकृत्यादेश के अन्तर्गत विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के स्तर से आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा ।

9.2 वैसी सभी योजनाएँ/कार्यक्रम, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा पूर्व के वर्ष/वर्षों में स्वीकृत किये गये हों तथा जिनके लिए विनिर्दिष्ट पद्धति से स्वीकृति उद्व्यय एवं आवंटन निर्गत किया जा रहा हो, को चालू प्रकृति की योजनाओं की श्रेणी में समझा जाएगा ।

यदि ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अथवा कार्यान्वयन निर्देशिका में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है तो कंडिका-1.1 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति आवश्यक होगी ।

9.3 ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष (जब तक वह योजना/कार्यक्रम लागू रहे) लिये जाने वाले कार्य चालू कार्य समझे जायेंगे, यथा-मनरेगा, इन्दिरा आवास, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, छात्रवृति योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि ।

9.4 चालू प्रकृति की योजनाओं की स्वीकृति

चालू प्रकृति की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित प्रत्येक वर्ष में, संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के स्तर से रू॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) तक की राशि तथा रू॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) से अधिक राशि की विमुक्ति हेतु विभागीय मंत्री से सहमति प्राप्त करते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। तद्नुसार बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने के लिए संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के स्तर से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा ।

9.5 योजनाओं का कार्यान्वयन एवं राशि की विमुक्ति, प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी ।

9.6 राज्य/जिला स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के उपलब्ध बजटीय उपबंध तथा निर्गत उपावंटन के अन्तर्गत स्वीकृत की जानेवाली योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया जाता है-

क्र॰	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	रू॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) तक	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव
2.	रू॰ 1.00 (एक) करोड़ से अधिक एवं रू॰ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) तक	प्रमण्डलीय आयुक्त
3.	रू॰ 1.00 (एक) करोड़ तक	उपायुक्त

नोटः- विभागाध्यक्ष से तात्पर्य वैसे पदाधिकारी से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया हो ।

10. इस संबंध में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1477, दिनांक-28.08.2015 एवं अधिसूचना संख्या-544, दिनांक-04.06.2021 तत्काल प्रभाव से निरस्त तथा अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे, तथापि पूर्व के निर्गत इन परिपत्रों के आलोक में, स्वीकृत योजनाओं की मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

11. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल),
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 574 - 50